

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केंद्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/117/2018/एफओ सी0/2148 दिनांक: 01/01/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- चमोली में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.86  
है० वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/31469/2018)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -  
1385/FP/UK/ ROAD/31469/2018 दिनांक 27-11-2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 02/10/2018 द्वारा चाही गई जानकारी अभी भी पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रस्तुत उत्तर में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:-

1. बिन्दु संख्या 02 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कें० एम० एल० फाईल पर प्रस्तावित मार्ग का आरम्भ बिन्दु अभी भी सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित मोटर मार्ग का आरम्भ बिन्दु दर्शाते हुए सही कें० एम० एल० फाईल ऑनलाईन पैरा C(ii) (b), Part I पर अपलोड करें। साथ ही लामान्वित ग्रामों की स्थिति भी कें० एम० एल० फाईल पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
2. लामान्वित ग्रामों की मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी प्रस्तुत करें तथा इन ग्रामों को मुख्य मार्ग से पृथक-पृथक जोड़ने के विकल्प का परीक्षण कर सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करें।
3. बिन्दु संख्या 05 के प्रतिउत्तर में employment detail अभी भी सही प्रतीत नहीं होती है। अतः राज्य सरकार सही employment detail ऑनलाईन Para E, Part I पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों (अधिकतम 90 दिन) के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

खतांक 2344 112-1, दि० 17 जनवरी 2020

प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक, केदारनाथ कंपनी व  
पृथगाग गोपेश्वर को प्रेषित, उक्त प्रकरण पर शीघ्र  
कार्यवाही करने हुए सूचना इस कागदलिपि को प्रेषित  
करें।

*Pandey*  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व  
- गोपेश्वर। -

निदेशक/वन संरक्षक  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व  
गोपेश्वर